निदेशालय,राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:एफ 18पार्ट–I / बीमा / व्य0एवंप0 / 2003–04 / दिनांक:

परिपत्र

संयुक्त शासन सचिव वित्त (बीमा) विभाग के आदेश क्रमांक प.13(21) वित्त / राजस्व / 76पार्ट दिनांक 13.03.2020 के द्वारा राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम, 1998 के नियम ।। (।)(i) में संशोधन करते हुये राज्य बीमा योजना की प्रीमियम दर दिनांक 01.04.2020 से पुनरीक्षण की गई है। जिसे अनुभाग के पत्र क्रमांक एफ18पार्ट–I / बीमा / व्य0एवंप0 / 2003–04 / 1416–1466 दिनांक 14.03.2020 को ई–मेल के द्वारा समस्त संभाग एवं जिला कार्यालयों को भिजवाया जा चुका है। विभाग के जिला कार्यालयों को निम्नानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाता है:–

1. जिन कर्मचारियों की मार्च देय अप्रेल 2020 के वेतन से कटौती सामान्य प्रीमियम दर पर स्लैब अनुसार की जाती है उन्हें अधिक घोषणा–पत्र पूर्ति करने की आवश्यकता नही है।

2. जो बीमेदार एक स्टेज या दो स्टेज अधिक बीमा प्रीमियम कटौती करवाना चाहते हैं उन्हें अधिक घोषणा पत्र अपनी स्वंय की SSO ID से ONLINE सबमिट करना आवश्यक है।

3. घोषणा पत्र (प्रथम / अधिक) की पूर्ति करते समय कर्मचारी द्वारा संक्रमित रोग, कैंसर, क्षय, अस्थमा, मधुमेह, एड्स से ग्रसित है या नही, का स्पष्ट अंकंन किया जाना अति आवश्यक है।

4. अधिक / प्रथम जोखिम 55 वर्ष की आयु तक नियमानुसार वहन की जाये। इससे अधिक आयु होने पर नियमानुसार जोखिम वहन नही किया जा सकती है।

5. जिन कार्मिकों द्वारा पूर्व में मार्च 2020 से प्रथम / अधिक घोषणा पत्र पुरानी दर से ऑनलाईन कर सबमिट कर दिया है, उसे DDO के द्वारा रिजेक्ट करवाया जाये तथा अगर उसे DDO के द्वारा फारवर्ड कर दिया है तो उसे इस विभाग के संबंधित जिला कार्यालय द्वारा रिजेक्ट किया जावेगा। तत्पश्चात संबंधित कार्मिक द्वारा पुनः

अपनी SSO ID से मार्च 2020 से प्रथम/अधिक घोषणा पत्र नई दर से सबमिट किया जावे।

उपरोक्त निर्देश अपने स्तर पर जिले के आहरण एवं वितरण अधिकारियों को सूचित करावें एवं उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय,
19/3/2020
वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक (बीमा)
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
राजस्थान जयपुर।

क्रमांकःएफ 18पार्ट–I/बीमा/व्य0एवंप0/2003–04/1498-1548 दिनांकः 19.03.2020

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, निदेशक महोदय, मुख्यालय जयपुर ।
2. समस्त अधिकारीगण मुख्यालय जयपुर ।
3. अतिरिक्त निदेशक(सिस्टम) मुख्यालय जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया उक्त आदेश विभागीय पोर्टल पर अपलोड करावे।
4. अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग समस्त संभागीय कार्यालय ।
5. संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग समस्त जिला कार्यालय ।
6. समस्त कोषाधिकारी गण,
7. रक्षित पत्रावली ।

19/3/2020
वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक (बीमा)
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
राजस्थान जयपुर।